कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

स्थापना 'घ' प्रभाग

अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्रम सं.	प्रश्न	उत्तर
	शुरुआत एवं उद्देश्य	
1.	सरकार के किन प्रावधानों के तहत अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों को विनियमित किया जाता है ?	केंद्र सरकार के किसी पद पर अनुकंपा आधार पर नियुक्तियां कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09.10.1998 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14014/2/2012-स्था. (घ), के तहत जारी "केंद्र सरकार के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति की योजना" के प्रावधानों की समय-समय पर संशोधित शर्तों के अनुसार विनियमित होती हैं। अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में सभी अनुदेशों को दिनांक 16.01.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14014/02/2012-स्था.(घ) के तहत समेकित किया गया है और यह विभाग की वेबसाइट www.persmin.nic.in (OMs & Orders> Establishment> (A) Administration (III) Concessions in Appointments (a) Compassionate Appointments) पर उपलब्ध है।
2.	अनुकंपा नियुक्तियों से संबंधित योजना का उद्देश्य क्या है ?	इस योजना का उद्देश्य ऐसे सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करना है, जो सेवाकाल में मृत्यु या 55 वर्ष की आयु (पूर्ववर्ती समूह 'घ' कर्मचारियों के लिए 57 वर्ष) प्राप्त करने से पहले चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप अपने परिवार को गरीबी में और आजीविका के किसी स्थायी साधन के बिना छोड़ जाता है, ताकि संबंधित सरकारी सेवक के परिवार को वित्तीय कार्रवाई से राहत दी जा सके और आपात स्थिति से उबरने में उसकी सहायता की जा सके ।
3.	क्या यह योजना सशस्त्र बलों के सदस्यों पर भी लागू होती है ?	जी हां । सशस्त्र बल के सदस्य के परिवार के आश्रित सदस्य को रक्षा मंत्रालय के अधीन किसी स्थापना/संगठन में सिविल पदों पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है, यदि सशस्त्र बल के उस सदस्य की : क) सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है; या ख) वह कार्रवाई के दौरान मारा जाता है; या ग) चिकित्सा आधार पर जिसकी सेवा समाप्त की गई हो और जो सिविल नौकरी के लिए अक्षम हो

4.	क्या आत्महत्या करने वाले सरकारी कर्मचारी के आश्रितों पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है ?	**जी हां** । यदि परिवार अनुकंपा नियुक्ति हेतु विचार करने से संबंधित मानदंडों को पूरा करता हो (कृपया क्रम सं. 29 देखें)
	अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु आयु सीमा	
5.	अनुकंपा नियुक्ति के लिए ऊपरी और निचली आयु सीमा क्या है ?	आयु सीमा उस पद के भर्ती नियमों के आधार पर होगी जिस पर अनुकंपा नियुक्ति की जानी प्रस्तावित है।
6.	क्या अनुकंपा आधार पर नियुक्ति करते समय किसी पद के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जा सकती है ?	**जी हां।** जहां भी आवश्यक पाया जाता है ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जा सकती है।
7.	क्या अनुकंपा आधार पर नियुक्ति करते समय किसी पद के लिए निर्धारित निचली आयु सीमा में छूट दी जा सकती है ?	**जी नहीं।** निचली आयु सीमा में 18 वर्ष से नीचे छूट नहीं दी जा सकती ।
8.	अनुकंपा आधार पर नियुक्ति करते समय आयु संबंधी पात्रता के निर्धारण हेतु निर्णायक तारीख क्या है ?	अनुकंपा नियुक्ति के लिए 'आवेदन की तारीख' के संदर्भ में आयु संबंधी पात्रता निर्धारित की जाएगी ।
9.	ऊपरी आयु सीमा में छूट देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है ?	किसी मामले में अनुकंपा नियुक्ति करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेने में सक्षम प्राधिकारी ऊपरी आयु सीमा में छूट देने के लिए सक्षम है।
10.	आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु विचार करते समय चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हुए सरकारी सेवक के मामले में आयु सीमा में कोई प्रतिबंध है ?	**जी हां।** सरकारी सेवक को 55 वर्ष (पूर्ववर्ती समूह 'घ' के लिए 57 वर्ष) की आयु प्राप्त करने से पहले चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त होना चाहिए।
	परिवार के आश्रित सदस्यों की परिभाषा	
11.	अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए परिवार के आश्रित सदस्यों के रूप में किन पर विचार किया जाएगा ?	परिवार का आश्रित सदस्य अर्थात् : क) जीवन साथी/जीवन संगिनी ; या ख) पुत्र (दत्तक पुत्र सहित) ; या ग) पुत्री (दत्तक पुत्री सहित) ; या घ) अविवाहित सरकारी सेवक के मामले में भाई या बहन ; या ङ) क्रम सं. 3 में दी गई परिभाषा के अनुसार सशस्त्र बलों का सदस्य, जो मृत्यु या चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति के समय सरकारी सेवक/सशस्त्र बल के सदस्य, जैसा भी मामला